पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक / 6678 / का.प. / अका. / 2012 रायपुर, दिनांक 13 मार्च, 2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 06.03.2012 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो.(श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल	—	सदस्य
3. प्रो. बी.के.शर्मा	—	सदस्य
4. डॉ.दीपक कारकून	—	सदस्य
5. डॉ.अरविंद गिरोलकर	—	सदस्य
6. डॉ.जी.बी.गुप्ता	—	सदस्य
7. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
8. श्री अशोक लोहिया	—	सदस्य
9. डॉ. उज्ज्वल पाटनी	—	सदस्य
10. डॉ. रवि भोई	—	सदस्य
11. श्री देवजी भाई पटेल	—	सदस्य
12. श्री रामजी भारती	—	सदस्य
13. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	—	सदस्य
14. श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.01.2012 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.01.2012 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.01.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.01.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में पी–एच.डी. उपाधि के नकल करने संबंधी प्रकरणों में निर्देशकों पर की गई कार्यवाही से कार्यपरिषद को अवगत कराया जावे।**

विषय कमांक–3

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2012 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2012 के कार्यवृत्त के निर्णय का अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–4

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2012 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–5

वार्षिक परीक्षा–2012 केन्द्र अग्रिम प्रथम किश्त की राशि 56,60,000/– प्रदाय करने हेतु स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा–2012 केन्द्र अग्रिम प्रथम किश्त की राशि रुपए 56,60,000/– प्रदान करने संबंधी सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। वार्षिक परीक्षा–2012 के लिए केन्द्र अग्रिम की द्वितीय किश्त रुपए 64,90,000/– की भी स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय कमांक–6

विश्वविद्यालय के भवनों की साफ–सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के भवनों की साफ–सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार मेसर्स, न्यूभारत सेक्युरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर को यह कार्य देने हेतु अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–7

डॉ.दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान को यू.जी.सी.रिसर्च अवार्ड (शोध केन्द्र फार्मेसी संस्थान) हेतु कार्यभार ग्रहण की तिथि से दो वर्ष के कर्तव्य अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ.दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान को यू.जी.सी. रिसर्च अवार्ड (शोध केन्द्र फार्मेसी संस्थान) हेतु कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए कर्तव्य अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई। डॉ. दीपेन्द्र सिंह इस अवधि में फार्मेसी संस्थान एवं विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।**

विषय कमांक–8

व्याख्याता एवं प्रवाचक के स्थान पर कमशः सहायक आचार्य एवं सह–आचार्य प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार व्याख्याता एवं प्रवाचक के स्थान पर कमशः सहायक आचार्य एवं सह–आचार्य प्रतिस्थापित किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–9

11वी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. से प्राप्त राशि रु. 1.80करोड़ के विरूद्ध 05 लाख से अधिक राशि की सामग्री कय हेतु किए गए कार्यआदेश की सूचना एवं अनुमोदन करना।

निर्णय : **11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. से प्राप्त राशि रु. 1.80 करोड़ के विरूद्ध 05.00 लाख से अधिक राशि की निम्नलिखित सामग्री कय करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन के साथ सामग्री प्राप्त होने पर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

01. साइलेंट जनरेटर–
    62.5 KVA 03 नग– कुल रु. 23,77,952.00
    125 KVA 03 नग – कुल रु. 32,50,520.00 योग राशि रु. 56,28,472.00
02. इंकेटिव बोर्ड – 10 नग कुल रु. 11,00,706.00
03. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर– 12 नग – कुल रु. 6,13,980.00
04. लैपटॉप(एंटीवायरस सहित) – 30 नग– कुल रु. 13,40,910.00
05. Computer System(HCL Infinity) DVD Writer & Antivirus सहित–30 नग कुल रु. 10,74,240.00

विषय कमांक–10

विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्राप्त निविदा पर इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसानुसार मेसर्स, न्यूभारत सेक्युरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर को अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–11

भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 04.02.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं यू.जी.सी. से प्राप्त अनुदान राशि को लोक निर्माण विभाग को भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 04.02.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यू.जी.सी. से प्राप्त अनुदान राशि में से विभिन्न भवनों के लिए भवन समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार अनुमोदन के साथ लोक निर्माण विभाग को डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत रु. 123.50 लाख भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। संबंधित भवनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली राशि का बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2012–13 में किया जावे।**

पूरक विषयसूची :

कमांक–1

47वॉं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 का अनुमोदन करना।

निर्णय : **47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 का अनुमोदन किया गया।**

क्रमांक–2

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई–दिल्ली की राशि रु. 16.00 लाख से Digitization कार्य हेतु Over Head Scanner क्रय किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई–दिल्ली की राशि रु. 16.00 लाख से Digitization कार्य हेतु Over Head Scanner क्रय किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

क्रमांक–3

ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.02.2012 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.02.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

क्रमांक–4

भौतिकी अध्ययनशाला के एस्ट्रोनामिकल प्रयोगशाला के लिए **'आब्जरवेटरी डोम'** (भौतिकी डोम हाउस के मद से रु. 15.00 लाख से) क्रय किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : **भौतिकी अध्ययनशाला के एस्ट्रोनामिकल प्रयोगशाला के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसित निर्माता कंपनी सिरियस आब्जरवेटरी आस्ट्रेलिया प्रा.लि. आस्ट्रेलिया से आब्जरवेटरी डोम लागत रुपए 13,76,125.00 क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

क्रमांक–5

भौतिकी अध्ययनशाला के एस्ट्रोनामिकल प्रयोगशाला के लिए 'मोबाइल प्लेनेटेरियम' (यू.जी.सी. द्वारा आवंटित वित्तीय मद से रु. 15.00 लाख से) क्रय किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : **भौतिकी अध्ययनशाला के एस्ट्रोनामिकल प्रयोगशाला के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसित मेसर्स, कास्माडोम आस्ट्रेलेसिया प्रा.लि., आस्ट्रेलिया से मोबाइल प्लेनेटेरियम लागत रुपए 13,79,070.00 क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

क्रमांक–6

यू.जी.सी. द्वारा आवंटित (रु. 35.00 लाख) विशेष वित्तीय मद द्वारा भौतिकी विभाग में एम. एस–सी./एम.फिल./रिसर्च प्रयोगशालाओं के लिए XRD unit क्रय किये जाने के संबंध में केंद्रीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 28.02.2012 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **यू.जी.सी. द्वारा आवंटित राशि (रु. 35.00 लाख) विशेष वित्तीय मद द्वारा भौतिकी विभाग के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसित मेसर्स, Bruker Axs Analytical Ptv.Ltd.(Bruker Make) से** XRD unit **लागत रुपए 34,00,000.00 क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

क्रमांक–7

विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन में कार्यपरिषद की ओर से दो सदस्यों का माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित किया गया है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन में कार्यपरिषद की ओर से दो सदस्यों का माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–8

विश्वविद्यालय कर्मचारियों को एरियर्स प्रदान करने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग से प्राप्त वित्त निर्देश 07/2012 पत्र क्रमांक 2279/एल 11–2/2010/ब–4/चार/2012 दिनांक 02.03.2012 पर विचार करना।

निर्णय :

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 के पद क्रमांक–11(द)(ii) में एरियर्स के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि– **''विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारियों को 'छठवां वेतनमान प्रदान करने की अनुशंसा कार्यपरिषद द्वारा की गई और राज्य शासन द्वारा इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की भी अनुशंसा की गई। यदि राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ता होता है तो एरियर्स की राशि का भुगतान 24 किश्तों में प्रत्येक माह के वेतन के साथ भुगतान करें।''** इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया। शासन द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छठवां वेतनमान का एरियर्स प्रदान करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के वित्त निर्देश 07/2012 पत्र क्रमांक 2279/एल 11–2/2010/ब–4/चार/2012 दिनांक 02.03.2012 जारी किया गया है। पत्र के बिंदु क्रमांक 2 में यह उल्लेख है कि– **''राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं यह स्वयं के स्रोत से उक्त अवधि के एरियर्स का पूर्ण या आंशिक भुगतान करना चाहते हैं तो इस हेतु इस शर्त पर सहमति दी जाये कि उक्त अवधि के अंतर की राशि के भुगतान के लिए वर्तमान में या भविष्य में कभी भी राज्य शासन से अनुदान की मांग नहीं की जावेगी। ऐसी संस्थाएं बकाया राशि के भुगतान की शर्तें एवं अवधि स्वयं निर्धारित करेंगी तथा भविष्य में उनको प्राप्त हो रहे स्थापना अनुदान अथवा ब्लाक ग्रांट की गणना करते समय कभी भी इस राशि को शामिल नहीं किया जाएगा।''**

वित्त विभाग के उपरोक्त वित्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 के निर्णय पर पुनः विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि–**''विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छठवां वेतनमान के आधार पर एरियर्स की शेष देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जावे।''**

विश्वविद्यालय के जिन कर्मचारियों ने अग्रिम लेकर समायोजन नहीं कराया है, या जिनकी वेतन से कटौती करना शेष है, उन्हें प्रदान की जाने वाली एरियर्स की राशि से एकमुश्त कटौती के पश्चात् शेष एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाय।

क्रमांक–9

DST-FIST प्रोजेक्ट के अंतर्गत Fluorescence Microscope with camera क्रय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **DST-FIST प्रोजेक्ट** फार्मेसी संस्थान के लिए क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार **Fluorescence Microscope with camera** लागत रु. 6,91,524.00 क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–8

विश्वविद्यालय कर्मचारियों को एरियर्स प्रदान करने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग से प्राप्त वित्त निर्देश 07/2012 पत्र क्रमांक 2279/एल 11–2/2010/ब–4/चार/2012 दिनांक 02.03.2012 पर विचार करना।

निर्णय :

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 के पद क्रमांक–11(द)(ii) में एरियर्स के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि– **''विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारियों को 'छठवां वेतनमान प्रदान करने की अनुशंसा कार्यपरिषद द्वारा की गई और राज्य शासन द्वारा इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की भी अनुशंसा की गई। यदि राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ता होता है तो एरियर्स की राशि का भुगतान 24 किश्तों में प्रत्येक माह के वेतन के साथ भुगतान करें।''** इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया। शासन द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छठवां वेतनमान का एरियर्स प्रदान करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के वित्त निर्देश 07/2012 पत्र क्रमांक 2279/एल 11–2/2010/ब–4/चार/2012 दिनांक 02.03.2012 जारी किया गया है। पत्र के बिंदु क्रमांक 2 में यह उल्लेख है कि– **''राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं यह स्वयं के स्रोत से उक्त अवधि के एरियर्स का पूर्ण या आंशिक भुगतान करना चाहते हैं तो इस हेतु इस शर्त पर सहमति दी जाये कि उक्त अवधि के अंतर की राशि के भुगतान के लिए वर्तमान में या भविष्य में कभी भी राज्य शासन से अनुदान की मांग नहीं की जावेगी। ऐसी संस्थाएं बकाया राशि के भुगतान की शर्तें एवं अवधि स्वयं निर्धारित करेंगी तथा भविष्य में उनको प्राप्त हो रहे स्थापना अनुदान अथवा ब्लाक ग्रांट की गणना करते समय कभी भी इस राशि को शामिल नहीं किया जाएगा।''**

वित्त विभाग के उपरोक्त वित्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 के निर्णय पर पुनः विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि–**''विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छठवां वेतनमान के आधार पर एरियर्स की शेष देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जावे।''**

विश्वविद्यालय के जिन कर्मचारियों ने अग्रिम लेकर समायोजन नहीं कराया है, या जिनकी वेतन से कटौती करना शेष है, उन्हें प्रदान की जाने वाली एरियर्स की राशि से एकमुश्त कटौती के पश्चात् शेष एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाय।

क्रमांक–9

DST-FIST प्रोजेक्ट के अंतर्गत Fluorescence Microscope with camera क्रय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **DST-FIST प्रोजेक्ट फार्मेसी संस्थान के लिए क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार Fluorescence Microscope with camera** लागत रु. 6,91,524.00 क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

क्रमांक–10

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 के विषय क्रमांक 11(ब) में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करना।

निर्णय : कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 के विषय क्रमांक 11(ब) में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :

" विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क में प्रतिपूर्ति की राशि वर्तमान में वृद्धि कर रुपये 4000.00 प्रतिवर्ष किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।"

उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को शिक्षण शुल्क/मेंटेनेन्स शुल्क की अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि रुपए 4000.00 प्रतिवर्ष प्रति बच्चे की दर से (अधिकतम दो बच्चे के लिए) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अधिकतम राशि अथवा भुगतान हेतु दावा की गई वास्तविक राशि जो भी कम हो, संबंधित को प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की जावेगी।

अध्यक्ष की अनुमति से–

क्रमांक–1

विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

क्रमांक–2

विश्वविद्यालय में आयोजित बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्यों एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्यों के लिए उपस्थित स्थानीय शिक्षकों को वाहन भत्ता रुपए 150.00 प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

क्रमांक–3

विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन/अधूरे भवनों के मूल्यांकन हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर छत्तीसगढ़ शासन से पंजीकृत सिविल इंजीनियर एवं फर्मों से आमंत्रित भावपत्र का समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत की गई अनुशंसानुसार मेसर्स, **Pilliwar & Associate Choubey Colony, Raipur** की दर 0.12 प्रतिशत से कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

क्रमांक–4

वित्त समिति के सदस्यों को भी कार्यपरिषद सदस्यों की भांति सीटिंग फीस रु. 1000.00 प्रदान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

क्रमांक–5

सत्र 2011–12 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। वार्षिक परीक्षा 2012 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा 12 मार्च, 2012 से एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 22 मार्च 2012 से प्रत्येक दिवस तीन पालियों में 121 केन्द्रों पर प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षा में कुल 77302 नियमित एवं कुल 1,16,976 अमहाविद्यालयीन/ भूतपूर्व/ पूरक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा में कुल 59 प्रश्नपत्र वितरण केन्द्र, कुल 11 लिखित उत्तरपुस्तिका संग्रहण केन्द्र एवं कुल 05 मूल्यांकन हेतु नोडल सेंटर बनाये गये हैं। अनुचित साधन के रोकथाम के लिए दो(02) उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जावेगा। अनुचित साधन के रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु सभी प्राचार्यों को निर्देशित किये गये हैं। परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु संबंधित जिले के जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को परीक्षा केन्द्र से संबंधित थाने को निर्देशित करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। परीक्षा संबंधी समस्त कार्यवाही के लिए कुलसचिव को गोपनीय विभाग के अधिकारियों के माध्यम से संपन्न कराने हेतु अधिकृत किया गया है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक/ 6679 /का.प./अका./2012 रायपुर, दिनांक 13 मार्च, 2012

प्रतिलिपि:

1. महामहिम कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)